165

संख्या–645/XVIII(II)/2013–18(103)/20

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 3–6–2013

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट में राजकीय महाविद्यालय भवनों के निर्माण हेतु कुल 3.762 है0 भूमि उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–53/सात–02/2012–13 दि0–12.10.2012 एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0–3562/रा0प0–012 भू0हस्ता0 दि0–22.10.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट की पट्टी बालातड़ी के ग्राम रावलगांव की गैर जमींदारी विनाश खतौनी श्रेणी 9(3)ग गौचर, खाता सं0–37 के खेत सं0–1906 रकबा 0.660 है0, 1908 रकबा 0.366 है0, श्रेणी 9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद खाता सं0–38 के खेत सं0–726 रकबा 0.104 है0, 785 रकबा 0.456 है0, 1011 रकबा 0.265 है0, 1902 रकबा 0.008 है0, 2031 रकबा 0.407 श्रेणी 10(4) बंजर नाकाबिल आबाद खाता सं0–50 के खेत सं0–724 रकबा 0.569 है0, खाता सं–52 के खेत सं0–722 रकबा 0.261 है0, 795 रकबा 0.205 है0, 865 रकबा 0.272 है0, 1034 रकबा 0.070 है0 तथा खेत सं0–1276 रकबा 0.119 है0 इस प्रकार कुल 13 खेतों की 3.762 है0 भूमि, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 के प्राविधानों के अधीन तथा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

.....2

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109 /2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 09 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या– 645/समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।